

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3080
बुधवार, 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्र तटीय प्रदूषण और जल गुणवत्ता की निगरानी

†3080. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के तटीय क्षेत्र में दर्ज किए गए प्रदूषण के स्तर, प्रमुख प्रदूषकों का ब्यौरा क्या है, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) समुद्र तटों और तटीय जल के किनारे समुद्री कूड़े और प्लास्टिक प्रदूषण की प्रवृत्ति क्या है, तथा उन्हें दूर करने के लिए राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) देश में ब्लू फ्लैग-प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या और स्थान क्या हैं तथा पर्यावरण निगरानी मानदंड और अनुपालन तंत्र क्या हैं;
- (घ) तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्ट बहिस्त्राव को कम करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और अपशिष्ट उपचार पहल सहित क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए तटीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित कर रही है और यदि हां, तो ऐसे ढांचे की प्रस्तावित संरचना और कार्यान्वयन समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) महोदय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, प्लास्टिक कचरे को समुद्र तट के पर्यावरण के लिए सबसे प्रमुख प्रदूषकों में से एक पाया गया है। अध्ययन किए गए समुद्र तटों पर प्लास्टिक कचरे का मुख्य स्रोत आम लोगों द्वारा फैलाया जाने वाला कचरा है, इसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोतों वाला कचरा और मछली पकड़ने की गतिविधि से होने वाला कचरा आता है।
- (ख) राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2021 में समुद्र तट पर प्लास्टिक कचरे का प्रतिशत 74% था। इसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आई और वर्ष 2022 तक यह 40% तक रह गया। समुद्र तटों पर प्लास्टिक कचरे का प्रतिशत 2023 में 43% था और 2024 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विभिन्न पहलों जैसे कि देश भर में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर/अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, विश्व महासागर दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा/स्वच्छता ही सेवा आदि के माध्यम से 250 से अधिक समुद्र तटों (2017-2024) पर अखिल भारतीय समुद्र तट सफाई और जागरूकता कार्यक्रम जैसे अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये मेगा-जागरूकता अभियान विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और अन्य हितधारकों को शामिल करके आयोजित किए गए

थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें दिनांक 1 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता और कचरा फैलाने की अधिक संभावना वाली एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सबिलिटी (EPR) के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में EPR, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग संबंधी अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने से फैले हुए और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है।

- (ग) एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP) के अंतर्गत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन सेवा (BEAMS) कार्यक्रम का संचालन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रदूषण निवारण, समुद्र तट जागरूकता, सौंदर्य, सुरक्षा, निगरानी सेवाएं और पर्यावरण शिक्षा आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियां और मापदंड चिह्नित समुद्र तटों पर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ब्लू फ्लैग समुद्र तट प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करना है। 6 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित कुल 10 समुद्र तट विकसित किए गए हैं, जो सुरक्षा और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे, नहाने वाले पानी की स्वीकार्य गुणवत्ता, आत्मनिर्भर ऊर्जा आपूर्ति और पर्यावरण अनुकूल सेवाओं / प्रबंधन उपायों के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटों के समतुल्य हैं। निम्नलिखित समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है:

- शिवराजपुर, देवभूमि द्वारका जिला, गुजरात
- घोघला (दीव) दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव
- पदुबिट्री, उडुपी जिला, कर्नाटक
- कासरकोड, कारवार जिला, कर्नाटक
- कप्पाड़, कोझिकोड जिला, केरल
- कोवलम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु
- ईडन, पुदुच्चेरी जिला, पुदुच्चेरी
- रुशिकोडा, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश
- गोल्डन, पुरी जिला, ओडिशा
- राधानगर (हैवलॉक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- (घ) तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्ट स्राव को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं:

- i. ई (पी) नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत सामान्य मानक तथा अनुसूची-I के अंतर्गत 79 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या स्राव के लिए उद्योग विशिष्ट मानक अधिसूचित किए गए हैं।
- ii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)/ PCCs राज्यों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सहमति/संचालन हेतु सहमति और प्राधिकार जारी करते हैं। SPCBs / PCCs निर्धारित मानदंडों के अनुसार औद्योगिक अपशिष्ट के अनुपालन की निगरानी करते हैं। अनुपालन न करने की स्थिति में जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम और ई(पी) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योग के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

- iii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने SPCBs / PCCs को पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए क्रमशः 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष के न्यूनतम निरीक्षण अंतराल पर उद्योगों का निरीक्षण करने और उन्हें लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणी नामित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, SPCBs / PCCs द्वारा प्रदूषण की उच्च संभावना वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों, सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन/शोधन केंद्रों जैसे कि सीवेज शोधन संयंत्रों (STPs), सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (CETPs) और सामान्य जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा (CBMWTFs) का हर तिमाही में निरीक्षण किया जाता है।
 - iv. SPCBs/PCCs के माध्यम से नियमित निगरानी के अलावा, CPCB इन इकाइयों में स्थापित ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों (OCES) के माध्यम से सृजित अतिक्रमण अलर्ट के आधार पर प्रदूषण की उच्च संभावना वाले उद्योगों और सामान्य केंद्रों की 17 श्रेणियों का रैंडम तरीके से निरीक्षण भी करता है। पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने की स्थिति में पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।
 - v. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के तटीय शहरों में अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन और निपटान के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत 9 तटीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB)/4 प्रदूषण नियंत्रण समितियों (आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) को निर्देश जारी किए हैं।
 - vi. तटीय क्षेत्र में स्थित अधिकांश उद्योगों को अपने पूर्व-उपचारित अपशिष्ट को सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) में निपटाने की अनुमति है, तथा CETP से शोधित अपशिष्ट को पाइपलाइन के माध्यम से समुद्र में छोड़ने की अनुमति है। मौजूदा तटीय स्राव को समुद्री निकास में परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे मामले, जहां समुद्री निकास - निर्वहन बिंदु पर 1500 गुणा न्यूनतम प्रारंभिक तनुकरण प्रदान करता है और निर्वहन बिंदु से 100 मीटर दूर एक बिंदु पर 1500 गुणा न्यूनतम तनुकरण प्रदान करता है, वहां राज्य बोर्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD) सीमा में छूट दे सकता है, बशर्ते कि शोधित बहिःस्राव में COD के लिए अधिकतम अनुमत मूल्य 500 मिलीग्राम / लीटर होगा।
- (ड) भूमि और समुद्र दोनों से उत्पन्न होने वाला समुद्री प्रदूषण विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह प्रदूषण कई रूप ले सकता है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण, कृषि अपवाह, औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्ट, समुद्री कचरा और तेल रिसाव शामिल हैं, इन सभी के कारण समुद्री जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री कचरे और माइक्रोप्लास्टिक्स पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी (UNEA) का संकल्प समुद्री कचरे को कम करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री कचरा संबंधी कार्य योजनाएं विकसित करने में सहायता और मार्गदर्शन करता है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति के लिए एक ब्ल्यूप्रिंट (तकनीकी रिपोर्ट) तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, NCCR ने समुद्री कचरे से निपटने के लिए 4 लक्ष्य और 20 कार्यनीतियां प्रस्तावित की हैं।